निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 37/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गोपीराम पुत्र श्री कालू जाति माली, निवासी ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण, ।
2. देवीला .ल पुत्र नाथू
3. झब्बू पुत्र नाथू
4. चन्दा पुत्र नाथू

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना अन्तर्गत धारा–235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 32/2019 ब उनवानी देवीलाल बनाम कमला व अन्य को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु।

उपस्थितः–

1. श्री बी॰ एल॰ शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री महावीर शेरावत अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

निर्णय दिनांक 3.9.2019

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने प्रार्थी व अन्य के विरूद्व एक दावा बाबत घोषण इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था, जो उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण के समक्ष विचाराधीन है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी द्वारा पेश साक्ष्य के शपथ पत्रों पर जिरह का अवसर 500/–रूपये की कीमत पर दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली प्रथम बार ही आयी थी तथा प्रार्थी के जिरह का अवसर भी प्रथम ही रहा था। अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की ओर से पेश साक्ष्य के समर्थन में शपथ पत्र प्रार्थी को जिरह का अवसर 500/–रूपये की कीमत पर दिया गया तथा प्रार्थी को बेवजह न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व आदेश पारित किया गया, जिस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 के साथ आये अन्य बिचौलिये व्यक्ति ने प्रार्थी को ग्राम में धमकी दी कि हमारी एससीएम साहब से बात हो चुकी है, जिस पर ए सी एम साहब दावें में आगामी तारीख पेशी नियत कर दावें को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के

जिला कलक्टर
जयपुर

हक में निस्तारित कर देंगे। अभी हाल में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के साथ आये बिचौलिये व्यक्ति ने पुनः प्रार्थी को धमकी दी कि अब जल्दी एसडीओ साहब तुम्हारा दावा खारिज कर देंगे, हमारी उनसे बात हो चुकी है । इस पर प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 व उसके साथ आये बिचौलिये व्यक्ति की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हुआ, अब अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 व उसके साथ आये बिचौलिये व्यक्ति से अप्रार्थी संख्या 1 मिल गया है, तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही है ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्स्फर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी के वाद अधीन भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि या अन्य कोई जीवीकोपार्जन का साधन नहीं है। अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर प्रार्थी के दावों को खारिज करा देंगे, तो वो अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में न्याय की दृष्टि से प्रार्थी के मुकदमें को अन्य अदालत में हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक है। न्याय की यही मंशा कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुए प्रार्थी को ऐसा प्रतीत भी होना आवश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा । इसी सन्दर्भ में राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णयों में यही प्रतिपादित किया है कि जब परिवादी को न्याय प्राप्त नहीं होने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की लगायत 4 ओर से अभिभाषक श्री महावीर शेरावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि पत्रावली विगत न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर से शहादत वादी में दिनांक 08.01.2019 से चली आ रही है। जिसमें गवाह वादी चंदालाल प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होता आया है, जिसकी पुष्टि मूल पत्रावली पर उपस्थिति दर्ज है। इस पर वकील वादी द्वारा प्रार्थी के वकील की उपस्थिति में बार बार गवाह वादी के हाजिर अदालत आने पर गवाह से अन्य प्रतिवादी के वकील द्वारा जिरह कर ली गई, किन्तु प्रार्थी के वकील द्वारा एतराज करते हुए निवेदन किया कि गवाह मजदूरी पेशा आदमी है और बार बार शहादत हेतु अपना काम छोड कर शहादत हेतु उपस्थित होता है, जिससे उस दिन की मजदूरी की भी क्षति होती है। इस पर स्वयं प्रार्थी के वकील ने कोस्ट लगाने हेतु सहमति देते हुये गवाह से जिरह करना स्थगित कर दिया है। इस प्रकार सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि पत्रावली प्रथम बार उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण के पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश हुई है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण के पीठासीन अधिकारी द्वारा

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर स कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 3-9-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर